"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च 2016—फाल्गुन 21, शक 1937

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 23 फरवरी 2016

क्रमांक ई-1-11/2015/1/2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2000 आवंटन वर्ष के श्री एस. एल. रात्रे को दिनांक 01-01-2016 की स्थिति में अधिसमय वेतनमान में रिक्तियां उपलब्ध होने पर, दिनांक 29-10-2015 को संपन्न छानबीन समिति (Screening Committee) की बैठक की अनुशंसा अनुसार दिनांक 01-01-2016 से अधिसमय वेतनमान (पे बैंड-4, रु. 37400-67000, ग्रेड पे रु. 10000/-) में पदोन्नत किया जाता है तथा सचिव, राजस्व मंडल, छत्तीसगढ़ के पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है.

2. श्री एस. एल. रात्रे, भा.प्र.से. (2000) द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम-2007 के नियम-9(1) के तहत सचिव, राजस्व मंडल, छत्तीसगढ़ के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

नया रायपुर, दिनांक 24 फरवरी 2016

क्रमांक ई-1-5/2013/1/2.—तमिलनाडू शासन, पब्लिक (Special.A) विभाग का आदेश क्र. G.O.Ms. No. 184, दिनांक 17-02-2016 के द्वारा श्री संतोष के. मिश्रा, भा.प्र.से. (TN : 2000) (छत्तीसगढ़ राज्य में अंत: संवर्गीय प्रतिनियुक्ति पर) को दिनांक 17-02-2016 से अधिसमय वेतनमान (PB-4, 37400-67000, GP-10000/-) में पदोन्नत किया गया है.

2. एतदद्वारा श्री संतोष के. मिश्रा, भा.प्र.से. (TN : 2000) विशेष सचिव, संस्कृति एवं पर्यटन, बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग को अधिसमय वेतनमान (PB-4, 37400-67000, GP-10000/-) का लाभ दिनांक 17-02-2016 से देय होगा. उन्हें अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक सचिव, संस्कृति एवं पर्यटन, बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 23 फरवरी 2016

क्रमांक ई 7-16/2007/1/2.—अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियम, 1955 के नियम-19 (1) के प्रावधान अनुसार श्री एन. बैजेन्द्र कुमार, भा.प्र.से. को दिनांक 16-09-2015 से 29-02-2016 तक (167 दिवस) स्वीकृत अर्जित अवकाश को लघुकृत अवकाश में परिवर्तित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 फरवरी 2016

क्रमांक एफ 1-14/22-1/2016.—विभागीय आदेश क्रमांक/पंचा/466/निर्माण/943, दिनांक 26-04-2014 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण क्षेत्र विकास प्राधिकरण के स्थान पर छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण संशोधित किया गया है.

No. F-14/22-1/2016.—By Department Order No/Pancha./466/Nirman/943 Dated 26-04-2014 Chhattisgarh State Rural Area Development Authority has been substituted through amendment with Chhattisgarh State Rural and Other Backward Class Area Development Authority.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
याकुब खेस्स, उप-सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 फरवरी 2016

क्रमांक एफ 1-9/2008/13/1.—राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित के अंतर्नियम की कंडिका-77(iv) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए श्री विजय सिंह को निदेशक सह प्रबंध निदेशक, छ.रा. विद्युत पारेषण कंपनी के पद पर दिनांक 29-02-2016 से, आगामी एक वर्ष अर्थात् दिनांक 28-02-2017 तक अथवा आगामी आदेश पर्यन्त, जो भी पहले हो, के लिए संविदा नियुक्ति प्रदान करता है.

2. संविदा नियुक्ति की अवधि में श्री विजय सिंह को देय वेतन/भत्ते एवं सेवा शर्तों के संबंध में पृथक से आदेश जारी किये जावेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. रत्नम, संयुक्त सचिव.

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 27 फरवरी 2016

क्रमांक एफ 06-64/2015/वा.क. (पंजी.)/पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा वर्ष 2013 तथा साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग में जिला पंजीयक के पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित किए गए निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, दो वर्ष की परिवीक्षा पर जिला पंजीयक के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैण्ड रुपये 15,600-39100, ग्रेड वेतन रुपये 5400/- में अनन्तिम (provisional) रूप से नियुक्त किया जाता है, तथा उनकी पदस्थापन जिला पंजीयक के रूप में उनके सम्मुख कॉलम 5 में दर्शाये जिले में की जाती है :—

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित सूची का सरल क्रमांक	अभ्यर्थियों का नाम, पिता का नाम एवं वर्तमान डाक का पता	श्रेणी	प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना का जिला अर्थात् जहां से वेतन आहरित होगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	6 (1)	श्री आशु अग्रवाल पिता-श्री सुरेश अग्रवाल ग्राम-नर्मदापुर, थाना-कमलेश्वरपुर तहसील-मैनपाठ, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	सामान्य	जिला पंजीयक कबीरधाम (छ.ग.)
2.	6 (3)	श्री विभूति कुमार क्षेत्रज्ञ पिता-श्री कृत नारायण राम लकड़ापारा वार्ड क्र.-08, फुन्दुरडिहारी अम्बिकापुर, थाना-गांधीनगर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)	अ.ज.जा.	जिला पंजीयक बस्तर (जगदलपुर)

2. (a) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा उसकी जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वत: छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर इस विभाग को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना इस विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी.

(b) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गए सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियां अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध करायेगा.

3. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को जब छ.ग. प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाएगा, तब वे अपनी उपस्थिति जिले से प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में देकर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे.

4. परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित प्रशिक्षण, महानिदेशक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर (छ.ग.) में प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण के पश्चात् अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यत: सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा. प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार में असफल होने पर अधिकारी को अकादमी में आगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर पुन: परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिए जा सकेंगे.

5. परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षावधि में उच्च मानकों द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षाएं भी उत्तीर्ण करनी होगी. नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिवीक्षावधि को बढ़ा सकेगा, इसके उपरांत भी विहित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर सेवायें तत्काल समाप्त की जायेगी.

6. अभ्यर्थी को निर्धारित मापदंड अनुसार आचरण व चरित्र का पुलिस सत्यापन भी करवाया जायेगा. यदि पुलिस सत्यापन में अधिकारी को सेवा के लिए अनुपयुक्त पाये जाने पर, नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में यदि, उसका उपुयक्त शासकीय सेवक बनना संभव न होना पाया जाएगा तो, उसकी सेवाएं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेगी.

7. शासकीस सेवा के दौरान उपरोक्त अधिकारीगण "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं छत्तीसगढ़ पंजीयन एवं मुद्रांक (राजपत्रित) सेवा वर्ग-2 के प्रावधानों के तहत् शासित होंगे.

8. उपरोक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति राज्य या संभागीय "मेडिकल बोर्ड" से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टीफिकेट) प्राप्त करने की अपेक्षा में की जाती है. अत: अभ्यर्थीगण राज्य या संभागीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टीफिकेट तत्काल विभाग में प्रस्तुत करेंगे. बिना चिकित्सा योग्यता प्रमाण पत्र के वेतन आहरण नहीं किया जायेगा. तथा किये गये कार्य अवधि का कोई वेतन देय नहीं होगा. "मेडिकल बोर्ड" द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में अभ्यर्थी की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी.

9. उपरोक्त अभ्यर्थियों को संबंधित जिला कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, छ.ग. रायपुर के समक्ष मूल (स्थानीय) निवासी प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. अभ्यर्थी द्वारा आयोग को नियुक्ति के पूर्व दी गई कोई भी जानकारी/प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी.

10. जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र के पूर्ण सत्यापन के उपरांत ही संबंधित अधिकारी की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किए जाने पर विचार किया जाएगा.

11. चयनित अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संलग्न प्रारूप में एक बॉण्ड शासन के पक्ष में निष्पादित करना भी आवश्यक होगा कि वह परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में, परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन, भत्ते एवं यात्रा व्यय शामिल होगा, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा.

12. चयनित आवेदक की परस्पर वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई चयन सूची के अनुसार ही निर्धारित रहेगी.

13. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मरियानुस तिग्गा, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बेमेतरा, दिनांक 24 फरवरी 2016

क्रमांक/11/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	साजा	भटगांव प.ह.नं. 32	3.42	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, साजा (छ.ग.)	भटगांव जलाशय योजना अंतर्गत भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 24 फरवरी 2016

क्रमांक/12/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	साजा	कुरलू प.ह.नं. 34	0.15	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, साजा (छ.ग.)	गांतापार व्यपवर्तन योजना के बंडपार हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 24 फरवरी 2016

क्रमांक/13/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	साजा	गांतापार प.ह.नं. 31	0.41	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, साजा (छ.ग.)	गांतापार व्यपवर्तन योजना के बंडपार हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 24 फरवरी 2016

क्रमांक/14/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	साजा	चेचानमेटा प.ह.नं. 24/35	0.92	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, साजा (छ.ग.)	ओड़िया जलाशय योजना के नहर एवं स्पील चैनल अंतर्गत भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 24 फरवरी 2016

क्रमांक/15/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	बेरला	लावातरा प.ह.नं. 31	1.83	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, साजा (छ.ग.)	लावातरा मार्ग में लोर नाला पर उच्चस्तरीय पहुंच मार्ग निर्माण अंतर्गत भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बेमेतरा, दिनांक 24 फरवरी 2016

क्रमांक/ /अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बेमेतरा	साजा	परपोड़ी प.ह.नं. 23/34	4.38	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, साजा (छ.ग.)	भटगांव जलाशय योजना अंतर्गत भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शाण्डिल्य, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुन्द, दिनांक 10 फरवरी 2016

क्रमांक 22/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-बिलासपुर
   (ख) तहसील-तखतपुर
   (ग) नगर/ग्राम-कोपरा
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.054 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	526	0.121
	527	0.040
	528	0.405
	529	0.012
	533	0.008
	530	0.283
	531	0.324
	532	0.397
	534	0.008
	536/1	0.263
	536/2	0.283
	575/1	0.283
	575/2	0.405
	574/3	0.121
	574/4	0.020
	574/7	0.081
योग	16	3.054

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अरपा भैंसाझार बैराज परियोजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सरगुजा, दिनांक 22 फरवरी 2016

रा.प्र.क्र./06/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-सरगुजा
   (ख) तहसील-सीतापुर
   (ग) नगर/ग्राम-भूसू
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.016 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1235	0.016
योग	1	0.016

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-डोमनी व्यपवर्तन योजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 22 फरवरी 2016

रा.प्र.क्र./07/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-मैनपाट
- (ग) नगर/ग्राम-महारानीपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.336 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
194	0.037
209/4	0.017
223/1	0.008
237	0.025
230	0.025
209/1	0.077
209/5	0.021
223/2	0.009
209/3	0.042
209/2	0.025
210	0.025
224	0.008
211	0.017
योग	0.336

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-महारानीपुर व्यपवर्तन योजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 22 फरवरी 2016

रा.प्र.क्र./08/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-बतौली
- (ग) नगर/ग्राम-घुटरापारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.861 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
6	0.040
11	0.092
39	0.053
43/3	0.149
55	0.054
60	0.072
388/1	0.024
42	0.026
714/7	0.134
7	0.048
64	0.064
41	0.048
46/1	0.096
56/1	0.046
62/1	0.096
390	0.077
47/1	0.044
38/1	0.086
9	0.332
36/1	0.067
57	0.016
46/2	0.053
56/3	0.034
714/3	0.070
10	0.024

(1)	(2)
59	0.016
योग	1.861

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-साखेन व्यपवर्तन योजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 22 फरवरी 2016

रा.प्र.क्र./08/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-बतौली
- (ग) नगर/ग्राम-चंवरपानी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.444 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
32	0.049
56	0.129
60	0.024
252	0.101
253	0.040
34	0.081
57	0.053
68/1	0.405
48/1	0.162
48/2	0.162
59	0.020
68/2	0.101
58	0.008
55	0.069
67/2	0.020
252	0.101
67/1	0.020
योग	1.444

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-साखेन नाला व्यपवर्तन योजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 22 फरवरी 2016

रा.प्र.क्र./09/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-सीतापुर
- (ग) नगर/ग्राम-भूसू
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.246 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
346/2	0.039
1148/1	0.045
1148/3	0.095
1198/5	0.057
1225/2	0.018
1221/2	0.006
1224/1	0.038
1227/3	0.045
346/3	0.039

(1)	(2)
1220/2	0.056
1220/3	0.056
1214	0.043
1224/2	0.023
1222/1	0.171
1222/3	0.216
1231/1	0.165
347	0.121
1148/2	0.066
1198/1	0.048
1215	0.022
1222/4	0.105
1225/1	0.036
1225/3	0.036
1147	0.174
1220/1	0.165
1198/2	0.072
1219	0.042
1221/1	0.082
1222/2	0.060
1226	0.105
योग	2.246

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-डोमनी व्यपवर्तन योजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 22 फरवरी 2016

रा.प्र.क्र./10/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-सीतापुर
- (ग) नगर/ग्राम-बगडोली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.959 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
769/1	0.028
744	0.174
759/1	0.202
756	0.041
848	0.085
840	0.004
753	0.004
839	0.004
768	0.248
764/1	0.030
760	0.004
854	0.008
836/1	0.055
765	0.142
761	0.081
841	0.008
763	0.022
757	0.011
758	0.061
838/1	0.081
843	0.065
877	0.041
योग	1.959

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रजपुरी जलाशय योजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 22 फरवरी 2016

रा.प्र.क्र./13/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-मैनपाट
- (ग) नगर/ग्राम-चिड़ापारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.926 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
205	0.089
461	0.049
453/1	0.017
462/2	0.008
459	0.172
207	0.364
455	0.137
206/2	0.045
454	0.045
योग	0.926

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-महारानीपुर व्यपवर्तन योजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 22 फरवरी 2016

रा.प्र.क्र./14/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-बतौली
- (ग) नगर/ग्राम-जरहाडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.538 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
148/1	0.036
207/2	0.032
150/2	0.010
272/2	0.027
150/1	0.096
148	0.036
207/2	0.028
280	0.072
207/1	0.032
149	0.066
262/1	0.026
181/946	0.077
योग	0.538

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-साखेन व्यपवर्तन योजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 22 फरवरी 2016

रा.प्र.क्र./15/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-बतौली
- (ग) नगर/ग्राम-जरहाडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.877 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
199/1	0.080
226	0.020
207/2	0.016
229/2	0.154
229/1	0.154
250/2	0.036
263	0.048
852	0.008
855	0.080
915/1	0.116
916	0.028
923/2	0.032
204	0.076
231	0.008
208	0.008
257/2	0.120
257/1	0.060
259	0.080
265/1	0.114
856	0.084
888/1	0.012
924/2	0.008
917	0.024
206	0.032
230	0.148
210	0.008
261/1	0.096
212/1	0.096
262/1	0.048
272/5	0.036
912	0.016
913	0.089
915/2	0.085
921	0.024
207/1	0.160
265/2	0.252
211/1	0.004
211/2	0.004
212/2	0.096
272/2	0.016
851/2	0.040
853	0.008
914	0.090
923/1	0.033
922	0.028
योग	2.877

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-साखेन व्यपवर्तन योजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 22 फरवरी 2016

रा.प्र.क्र./16/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-बतौली
- (ग) नगर/ग्राम-बोदा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.774 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	(1)	(2)
(1)	(2)	352/2	0.004
		418	0.032
313/1	0.118	420	0.032
302	0.081	644	0.323
323/2	0.065	679/1	0.006
327/3	0.081	982	0.012
346	0.052	939/3	0.032
349	0.052	931	0.061
353	0.024	681	0.008
680	0.008	670	0.202
655/3	0.033	771	0.298
687	0.024	975	0.024
684	0.008	974/1	0.065
950/2	0.072	1202/1	0.101
934	0.136	914	0.248
313/2	0.202	928/1	0.136
303	0.016	950/3	0.072
322	0.101	952/2	0.008
345/1	0.036	983/2	0.161
344	0.008	941	0.016
350	0.028	1301	0.061
406	0.202	682	0.008
417	0.143	669	0.264
652	0.048	770	0.161
686	0.024	1201/2	0.008
773	0.036	974/2	0.040
951/2	0.032	966	0.081
933/1	0.121	963	0.081
307	0.024	915/10	0.267
304/1	0.024	951/1	0.121
327/1	0.120	952/3	0.032
772/3	0.040	940	0.073
347	0.036	1277/1	0.161
351/1	0.032	1302	0.008
404	0.202	683	0.004
416/2	0.101	775	0.144
645	0.347	972	0.024
685	0.024	1202/2	0.040
973	0.081	983/1	0.161
953/4	0.045	1207	0.096
930	0.040	964/2	0.096
306	0.048	1278	0.192
300	0.048	952/5	0.040
345/3	0.036	952/4	0.032
328	0.169	929	0.008
348	0.089	1304	0.380

(1)	(2)
953/3	0.045
योग	7.774

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-साखेन व्यपवर्तन योजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 22 फरवरी 2016

रा.प्र.क्र./17/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-बतौली
- (ग) नगर/ग्राम-तरागी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.714 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
40/6	0.066
25	0.024
169/1	0.054
22	0.076
43	0.028
49	0.160
170/2	0.108
169/2	0.024
27	0.072
21	0.020
23	0.024
174	0.077
50	0.020
180/1	0.048
53	0.012
71	0.016
170/1	0.008
175	0.125
20	0.048
232	0.086
233	0.134
54	0.028
173	0.038
180/2	0.062
39	0.068
28	0.024
241	0.264
योग	1.714

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-साखेन व्यपवर्तन योजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 22 फरवरी 2016

रा.प्र.क्र./19/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सरगुजा
- (ख) तहसील-सीतापुर
- (ग) नगर/ग्राम-नवापारा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.250 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
42	0.057
49	0.27
80	0.135
67	0.030
69/2	0.062
207/1	0.067
81/2	0.114
237	0.042
184/1	0.057
239/2	0.101
214/2	0.040
244/1	0.069
299/3	0.069
260/1	0.007
293	0.016
297	0.021
323	0.144
336	0.120
855	0.072
265/1	0.105
182/2	0.075
43	0.063
52	0.156
64/2	0.120
73	0.054
266/2	0.036
208/1	0.042
125	0.090
238	0.045
239/1	0.101
207/2	0.037
220/2	0.039
244/3	0.029
249/2	0.030
265/2	0.105
294	0.020
298	0.018
326/1	0.066
338	0.096
401/3	0.111
290	0.057
183/3	0.060
62	0.012
54/1	0.144
64/3	0.037
261	0.042
69/3	0.060
74/3	0.079
149	0.118
182/1	0.027
184/2	0.085
208/2	0.042
243	0.009
247	0.150
255	0.008
266/1	0.036
295	0.082
299/1	0.078
326/2	0.061
853	0.151
401/2	0.111
856	0.102
144/1087/1	0.102
44/2	0.061
59	0.057
64/4	0.060
68	0.004
72	0.090
184/3	0.010
222	0.117
183/1	0.007
221	0.072
213	0.036
246/5	0.009
248	0.054
299/2	0.025
266/4	0.036
296	0.024
300	0.024
326/3	0.048
858	0.117
260/2	0.007
222/1	0.045
योग	5.250

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-डोमनी व्यपवर्तन योजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सीतापुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋतु सैन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

जगदलपुर, दिनांक 22 जनवरी 2016

क्रमांक/102/गी.व.भू-उप./नग्रानि/2016.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि गीदम निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टरों को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक-एक प्रति कार्यालय नगर पंचायत भवन गीदम (प्रदर्शनी स्थल) जिला दंतेवाड़ा, कार्यालय कलेक्टर जिला दन्तेवाड़ा एवं कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, संयुक्त जिला कार्यालय भवन द्वितीय तल जगदलपुर कक्ष क्र. 31 में दिनांक 28 जनवरी 2016 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्य दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. गीदम निवेश क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित अनुसूची में दर्शित है :—

अनुसूची

गीदम निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : नगर पंचायत गीदम की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : नगर पंचायत गीदम की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम हाउरनार की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम हारम की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये गये अनुसूची के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर तथा इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की समयावधि के भीतर लिखित रूप से उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जगदलपुर को प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसे आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हों, संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा विचार किया जायेगा.

निरीक्षण स्थल :— कार्यालय नगर पंचायत भवन गीदम.

No. 102/Geedam.EXT.L./T&CP/2016.—Notice is hereby given that the existing land use map for Geedam Planning Area has been prepared under section 15 sub section (1) of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection from dated 28-01-2016 during office hours in the Office of the Nagar Panchayat (Exhibition Venue) Geedam, Office of the Collector, District Dantewada & Office of Deputy Director, Town & Country Planning Collectorate Compound Composite Building Jagdalpur,Dist. Bastar. The limit of the Geedam Planning Area is defined in the Schedule given below :—

SCHEDULE

Limits of Geedam Planning Area

NORTH : Nagar Panchayat Geedam upto the northern limit.
EAST : Nagar Panchayat Geedam upto the eastern limit.
SOUTH : Village Haournar upto the southern limit of village.
WEST : Village Haram upto the western limit to village.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use maps prepared it should be sent in writing to the Deputy Director, Town & Country Planning Jagdalpur within a period of thirty days from the date of publication of the notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before the period specified above will be considered by Director.

Place of Inspection :— Nagar Panchayat Bhavan Geedam.

डी. के. बघेल,
सहायक संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, धमतरी (छ.ग.)

धमतरी, दिनांक 3 फरवरी 2016

क्रमांक/178/नग्रानि/धमतरी/2016.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि नगरी निवेश क्षेत्र के लिये भूमि के उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी 01 प्रति कलेक्टर, जिला धमतरी (छ.ग.), सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, धमतरी (छ.ग.) एवं नगर पंचायत नगरी के कार्यालयों में दिनांक 06-02-2016 से कार्यालयीन समय के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है.

यदि इस प्रकार तैयार किये गये भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, धमतरी (छ.ग.) को या निरीक्षण स्थल पर "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो किसी भी व्यक्ति के ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व प्राप्त हो, आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश (छ.ग.) नया रायपुर द्वारा विचार किया जायेगा.

स्थान - नगरी

No. 178/T&CP/Dhamtari/2016.—Notice is hereby given that the existing land use maps and register for the Nagri Planning Area has been prepared under sub section (1) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) and a copy thereof is available for inspection from 06-02-2016 in the office of Collector Dist.-Dhamtari, Assistant Director Town and Country Planning Dhamtari and Nagar Panchayat Nagri during office hours on working days.

If there be any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared it should be sent in writing to the Assistant Director, Town and Country Planning, Dhamtari or at the Exhibition place at Nagri within a period of thirty days from the date of publication of the notice in "Chhattisgarh Gazette".

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before the period specified above will be considered by the Commissinor Director, Town and Country Planning (C.G.) Naya Raipur.

Place — Nagri

आर. के. मालवीया,
सहायक संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बलौदाबाजार (छ.ग.)

बलौदाबाजार, दिनांक 30 जनवरी 2016

क्रमांक/123/ELU/नग्रानि/2016.—एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि सिमगा निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक-एक प्रति नगर पंचायत सिमगा/प्रदर्शनी स्थल, कार्यालय कलेक्टर जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा एवं कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश बलौदाबाजार के कार्यालयों में दिनांक 30 जनवरी 2016 से कार्यालयीन समय एवं कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. सिमगा निवेश क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित अनुसूची में अंकित है :—

अनुसूची

सिमगा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम चुटचुटिया, खंडवा, सिमगा, दुलदुला एवं हरिनभट्ठा ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम हरिनभट्ठा एवं कामता ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम कामता, पौसरी, लांजा, बिनौका एवं ओरेटी ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम ओरेटी, सिमगा एवं चुटचुटिया ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

इस प्रकार तैयार किए गए अनुसूची के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थल पर तथा इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर लिखित रूप से कार्यालय सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश बलौदाबाजार (छ.ग.) को या निरीक्षण स्थल पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसे आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हो तो सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय बलौदाबाजार द्वारा विचार किया जावेगा.

निरीक्षण स्थल : कार्यालय नगर पंचायत सिमगा.

कमला सिंह,
सहायक संचालक.

कार्यालय, कलेक्टर जिला-महासमुन्द (छ.ग.)

महासमुन्द, दिनांक 17 फरवरी 2016

क्रमांक 169/क/वि-स्था/2016.—सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-दो, अनुक्रमांक-चार के नियम आठ एवं छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-2/1999/1/4 दिनांक 30-03-1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं उमेश कुमार अग्रवाल, कलेक्टर, जिला महासमुन्द कैलेण्डर वर्ष 2016 हेतु जिला महासमुंद के समस्त शासकीय कार्यालयों तथा संस्थाओं के लिए निम्नांकित तिथियों में स्थानीय अवकाश घोषित करता हूं :—

क्रमांक	स्थानीय अवकाश का नाम	दिनांक	दिन
1	होली (होलिका दहन)	22 मार्च, 2016	मंगलवार
2	अन्नकूट (गोवर्धन पूजा)/दीपावली का दूसरा दिन	31 अक्टूबर, 2016	सोमवार
3	देवउठनी एकादशी (तुलसी विवाह)	11 नवम्बर, 2016	शुक्रवार

उपरोक्त स्थानीय अवकाश बैंक/कोषालय/उपकोषालय के लिए लागू नहीं होगा.

उमेश कुमार अग्रवाल,
कलेक्टर.

कार्यालय, मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र एवं अध्यक्ष बायलर प्रचालन इंजीनियर परीक्षक मंडल, छत्तीसगढ़
जी.ई रोड, आमापारा, पो. विवेकानंद आश्रम रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 फरवरी 2016

क्रमांक मुनिवा/डी-34/830/2016.—माह जून-2015 में भिलाई, छत्तीसगढ़ के बायलर प्रचालन इंजीनियर को प्रवीणता प्रदान करने हेतु परीक्षा आयोजित की गई. उक्त परीक्षा में शामिल निम्नलिखित तीन व्यक्तियों के नाम, रोल नम्बर तथा परीक्षाफल निम्नानुसार है :—

क्र.	नाम	रोल नम्बर	परीक्षाफल
1.	श्री पीयूष कुमार गुप्ता	264	सफल
2.	श्री प्रमेन्द्र सिंह छौंकर	278	सफल
3.	श्री मो. साजिद ईमाम	219	असफल

श्री पीयूष कुमार गुप्ता, श्री प्रमेन्द्र सिंह छौंकर तथा श्री मो. साजिद ईमाम ने उपरोक्त परीक्षा में शामिल होने हेतु जो अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये थे उन प्रमाण पत्रों की जांच उपरांत प्रमाण पत्र फर्जी पाये गये. अतः बायलर प्रचालन नियम 2011 के नियम 29 (1) के प्रावधान के अनुसार श्री पीयूष कुमार गुप्ता तथा श्री प्रमेन्द्र सिंह छौंकर को माह जून-2015 में आयोजित बायलर प्रचालन इंजीनियर की परीक्षा में असफल घोषित किया जाता है. इसी के साथ उक्त नियम के नियम 29(1) के प्रावधान के अनुसार श्री पीयूष कुमार गुप्ता, श्री प्रमेन्द्र सिंह छौंकर तथा श्री मो. साजिद ईमाम को दो वर्ष की अवधि (दिनांक 19-10-2015 से दिनांक 18-10-2017 तक) के लिये इन नियमों के अधीन किसी परीक्षा में प्रवेश करने से विवर्जित किया जाता है.

गुंजन शुक्ला,
सचिव.